

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 24 नवम्बर, 2015

संख्या 27/एस0टी0-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2015. — चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हैं।

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ड में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ड में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 3(ख) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी तथा सात सितम्बर, 2015 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
3(ख)	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 से संलग्न अनुसूचि 'ग' में आने वाले माल तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में वर्णित विशेष महत्व के माल के सिवाय सभी माल	जब माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसे रूप में बेचा जाता है।	अधिनियम के अधीन राज्य में ऐसे माल के क्रय पर भुगतान किए गए वास्तविक कर की राशि की सीमा तक निवेश कर अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन ऐसे माल के विक्रय पर भुगतानयोग्य कर, जो भी कम हो।
3(ग)	सभी माल	जब माल क्रय कीमत से कम विक्रय कीमत पर बेचा जाता है।	ऐसे माल के विक्रय पर उत्पादन कर के दायित्व, यदि कोई हो, की सीमा तक;"।

रोशन लाल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 24th November, 2015

No. 27 /ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2015.- Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with the proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule E appended to the said Act, by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), in Schedule E, under column 1, 2, 3 and 4, for serial number 3(b) and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 7th September, 2015, namely:-

1	2	3	4
“3(b)	All goods except goods falling in Schedule ‘C’ appended to the Haryana Value Added Tax Act, 2003 and goods of special importance mentioned in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.	when the goods are sold as such in the course of inter-state trade or commerce.	Input Tax to the extent of the amount of tax actually paid on the purchase of such goods in the State under the Act or tax payable on sale of such goods under the Central Sales Tax Act, 1956, whichever is lower.
3(c)	All goods	when the goods are sold at a sale price lower than the purchase price.	To the extent of output tax liability, if any, on the sale of such goods;”.

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.